(73) 75

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ
भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश

निगरानी याचिका कमांक /2014

III/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/3898

1–श्रीशंकर आत्मज स्वर्गीय परमसुख आयु 63 वर्ष व्यवसाय कृषि,निवासी ग्राम वासनियाकलॉ तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्यप्रदेश

2–श्रीनारायण आत्मज स्वर्गीय परमसुख आयु 49 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम वासनिया कलॉ तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्यप्रदेश

3–हरिनारायण आत्मज स्वर्गीय परमसुख, आयु 43 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी कस्वा रेहटी तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्यप्रदेश

4–श्रीमति सरजूबाई वेवा स्वर्गीय परमसुख आयु 93 वर्ष व्यवसाय कुछ नही निवासी ग्राम वासनियाकलॉ तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्यप्रदेश ....निगरानीकर्तागण,

आज दिनांक 10/10/17 को श्री – श्रीलालसिंह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया।
10/10/17

बनाम

श्रीमति कोकिला पत्नि श्री मिश्रीलाल पुत्री स्वर्गीय परमसुख आयु लगभग 55 वर्ष निवासी कोठी बाजार होशंगाबाद,जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश ....प्रतिनिगरानीकर्ता,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुदनी जिला सीहोर के न्यायालय मे विचाराधीन राजस्व अपील कमांक 57/2013 श्रीमति कोकिलाबाई बनाम श्रीशंकर व अन्य मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक 13/09/2017 से असंतुष्ट एवम दुखी होकर निम्नलिखित वेधानिक तथ्यो एवम आधारो पर यह अपील सादर प्रस्तुत करते है।

श्रीशंकर यादव

श्रीनारायण

निरन्तर...........

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(74)

प्रकरण क्रमांक R 3895-III/17 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/02/19	इस प्रकरण में दिनांक 20/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के प्रकरण क्रमांक 57/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 13/9/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	